

श्री नवदीप शुक्ला, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में नई जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के निमित्त दिनांक 16.08.2021 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- जिला स्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यगण।

(यथा उपस्थिति पंजी में अंकित)

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी उपस्थित सदस्यगण का स्वागत किया गया एवं तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कैमूर जिलान्तर्गत कुल 43 (अनुमण्डल भभुआ-28 एवं मोहनियां-15) रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 08/आ०, दिनांक 06.01.2021 द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के साथ-साथ जिले के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ एवं मोहनियां के कार्यालय में दिनांक 11.01.2021 से 27.01.2021 तक कार्यालय अवधि में निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया गया।

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 1750 दिनांक 10.03.2016 द्वारा निर्गत बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 265/आ० दिनांक 26.03.2021 द्वारा आवेदनों के जॉचोपरान्त जिला चयन समिति द्वारा सर्वाधिक योग्य पाये गये अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उक्त बैठक में अनुमण्डल-मोहनियां, प्रखण्ड-मोहनियां, पंचायत-डंडवास, कोटि-अनारक्षित अंतर्गत प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अंकित आवेदक श्री अमित कुमार प्रथम स्थान पर थे। प्राप्त दावा/आपत्ति के जॉच के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां द्वारा प्रतिवेदन/मंतव्य दिया है कि श्री अमित कुमार वार्ड नं०-7 के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव हैं तथा लाभ के पद पर हैं। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका-11 (IV) के आलोक में आवेदक निरर्हित है। अतः इनका चयन नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु पर चयन समिति द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से मार्गदर्शन प्राप्त कर चयन करने का निर्णय लिया गया। उक्त आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 278/आ० दिनांक 03.04.2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से मार्गदर्शन की मांग की गयी।

उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3854/पं०रा० दिनांक 26.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि " बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017" के 'नियम-4' का संदर्भ लिया जाय। यथा उल्लिखित है कि वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच में से एक व्यक्ति को वार्ड सभा के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु चयनित करेगी। उक्त नियमावली के अधीन वार्ड सचिव का पद वेतनभोगी पद नहीं है, और न ही राज्य सरकार की ओर से कोई नियत भत्ता अनुमान्य है। साथ ही नियमावली में वार्ड सचिव के पद को लाभ का पद माने जाने से संबंधित प्रावधान निहित नहीं है।

उक्त मार्गदर्शन के आलोक में अनुमण्डल-मोहनियां, प्रखण्ड-मोहनियां, पंचायत-डंडवास, कोटि-अनारक्षित अंतर्गत श्री अमित कुमार, पिता-कमलेश कुमार, ग्राम+पंचायत-डंडवास, प्रखण्ड-मोहनियां, जिला-कैमूर (भमुआ) को चयनित किया जाता है।

- बैठक में निदेश दिया गया कि भविष्य में इन चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता परिलक्षित होने की स्थिति में संबंधित जॉच पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार माने जायेंगे। अतः अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में आवेदन/संलग्न सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण-पत्र से सत्यापन कराते हुए तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा स्थलीय जॉचोपरान्त विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् आवेदक/आवेदिका से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे।
- शर्तें :- सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अनुशंसित आवेदक/आवेदिका को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी निम्नांकित बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो लेना सुनिश्चित करेंगे :-

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र इत्यादि के सत्यापन कराने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति निर्गत करें।
2. आवेदक/आवेदिका से इस बात का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दण्ड नहीं दिया गया है तथा आपराधिक मामला उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. अनुज्ञप्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है, तो संबंधित आवेदक/आवेदिका की अनुज्ञप्ति रद्द कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
4. संगत विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक/आवेदिका जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अन्य सभी वांछित अर्हता धारित करते हैं।
5. अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 11 के आलोक में निरहित नहीं है। यदि चयनित अभ्यर्थी बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों में विरोधाभास (Contradiction) पाया जाता है, तो उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करेंगे बल्कि पूर्ण औचित्य के साथ पुनर्विचार हेतु जिला चयन समिति के समक्ष प्रतिवेदित करेंगे।

ह०/- जिला कल्याण पदा० कैमूर (भमुआ)।	ह०/- जिला सह० पदा० कैमूर (भमुआ)।	ह०/- अनु० पदा०, भमुआ।	ह०/- अनु० पदा०, मोहनियां	ह०/- जिला आ० पदा०, कैमूर (भमुआ)।	ह०/- जिला पदाधिकारी, कैमूर (भमुआ)।
---	--	-----------------------------	--------------------------------	--	--

ज्ञापांक—X-06-2021/648...../आ०, दिनांक16.08.2021

- प्रतिलिपि :- सभी चयनित आवेदकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/8
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।